मध्यप्रदेश के इंदौर जिले की सहकारी दुग्ध समितियों की प्रबंध व्यवस्था–एक अध्ययन

जैन श्वेता* एवं आदिल असगर अली
वाणिज्य विभाग, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर, भारत
*jainshweta2020@gmail.com

शोध सारांश
भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में कृषकों की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सहकारी दुग्ध समितियों की स्थापना की गई। बड़ी मात्रा में किसानों एवं पशुपालकों से एकत्रित दुग्ध का संग्रहण, भंडारण, परिष्करण, विपणन एवं नियंत्रण के समस्त कार्य ग्रामीणों द्वारा ही किया जाता है एवं उपरोक्त कार्य को व्यवस्थित करने के लिए प्रबंधन की ओर ध्यान गया। सन् 1946 में 5 समितियों को मिलाकर औपचारिक तौर पर पंजीकरण किया गया, जिसका उद्देश्य था जिले में उत्पादित दूध के विपणन की सुविधाएँ मुहैया कराना। ये समितियाँ किसानों की जानकारी में वृद्धि करने, उनके दुग्ध व्यवसाय को सरल एवं लाभदायक बनाने में सहयोगी बनीं।

शब्द कुँजी : अधिप्राप्ति – दूध प्राप्त करना, आदान – आवश्यक सामग्री, बिचौलिये – मध्यस्थ।

प्रस्तावना
भारत गॉवों का देश है जिसमें सीमांत किसान और बिना भूमि वाले मजदूर रहते है। इसलिए डेरी विकास सिर्फ सहकारी आधार पर ही किया जा सकता था। भारत सरकार ने महसूस किया कि किसानों की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सहकारिता ही एकमात्र उपाय है। इंदौर दुग्ध संघ का महत्व संघ में संचालित हो रही संगठन व्यवस्था द्वारा और अधिक बढ़ जाता है।

अध्ययन की प्रासंगिकता एवं उद्देश्य
वर्तमान में इंदौर नगर की गिनती जब महानगरों में की जाती है वहीं इसकी बढ़ती जनंख्या में दुग्ध उपलब्धता की समस्या के निराकरण में मध्यप्रदेश सहकारी दुग्ध संघ की भूमिका एवं प्रबंध व्यवस्था को जानना ही काफी रूचिकर रहा। सहकारी दुग्ध समितियों की प्रबंध व्यवस्था किस प्रकार दुग्ध आपूर्ति को सतत् बनाने में सहायक रही, यही इस अध्ययन की विषय वस्तु है।

मध्यप्रदेश सहकारी दुग्ध संघ का प्रबंधन
दूध एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है जिसका सेवन जन्म से आजन्म तक किया जाता है। इसलिए सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के सभी 51 जिलों में सहकारी दुग्ध समितियों की स्थापना संघ स्तर पर की गई। इन्हीं समितियों में से इंदौर सहकारी दुग्ध संघ भी एक संघ स्तर की समिति है।

त्रि–स्तरीय सहकारी डेयरी संचरना
1. राज्य फेडरेशन
2. जिला/क्षेत्रीय दुग्ध संघ
3. ग्रामीण प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियाँ

ग्रामीण दुग्ध संघ का प्रबंधन
यहॉ त्रि–स्तरीय प्रबंध व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, ग्रामीण प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियाँ हैं। ये समितियाँ दुग्ध उत्पादक ग्रामीणों का समूह होती हैं। गॉव समितियाँ निचले स्तर पर कार्य करती हैं। समिति बनाने के लिए किसी भी गॉव के इच्छुक दूध उत्पादक एक प्रस्तावित सोसायटी बना लेते हैं। कोई दुग्ध उत्पादक न्यूनतम प्रवेश शुल्क अदा करके और सहकारी समिति का कम से कम एक शेयर खरीदकर समिति का सदस्य बन सकता है।

एक समिति में कम से कम 30 से 50 सदस्य आवश्यक होना चाहिए। अब सदस्य बना दुग्ध उत्पादक अपनी समिति को ही अपना दूध बेचते हैं। एक सदस्य एक वर्ष में कम से कम 500 लीटर या एक वर्ष में 180 दिन तक यदि दूध आपूर्ति नहीं करते है तो वे अपना मत देने का अधिकार और सहकारी समति में कोई पद पाने की योग्यता भी खो देते हैं।

जिला दुग्ध संघ का प्रबंधन
सभी पंजीकृत गॉव दुग्ध समितियाँ जिला दुग्ध संघ के अंतर्गत सदस्य होती हैं। ऐसे जिला संघ से जुड़ने के लिए ग्रामीण दुग्ध समितियों को 100/– रूपए का कम से कम एक शेयर जरूर खरीदना होता है।

जिला संघ का नियंत्रण एक निदेशक मंडल के हाथ में होता है। इस निदेशक मंडल के 17 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में से 12 सदस्यों का चुनाव गॉव समितियों के प्रतिनिधियों में एक प्रजातांत्रिक तरीके से किया जाता है। बाकी पॉच सदस्य में से–
एक प्रबंध निदेशक
दो वित्त प्रबंध में प्रतिनिधि
एक रजिस्ट्रार का प्रतिनिधि

एक सचिव के रूप में चुना जाता है। ये पाँचों अध्यक्ष के पद के चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। निदेशक मंडल के चुने 1/3 सदस्य बारी–बारी से हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे हर सदस्य को 3 वर्ष लगातार काम करने का अवसर मिलता है और प्रबंध में बना रहता है। निदेशक मंडल और संघ के प्रशासकों के बीच काफी अच्छा आचरण और प्रशासनिक अनुशासन रखा जाता है।

कार्य का विभाजन
1. अधिप्राप्ति
2. परिष्करण
3. विपणन
4. तकनीकी आदान

सहकारी दूध विपणन महामंघ
यह महासंघ राज्य स्तरीय सर्वोच्च संस्था होती है। प्रत्येक जिला डेरी सहकारी संघ, सहकारी दूध विपणन महासंघ की सदस्यता वही जिला डेरी सहकारी संघ ले सकता है जो महासंघ की शेयर पूँजी में कम से कम 20000 रूपए का अंश दान करके उसका सदस्य बने।

महासंघ के कार्य
1. सभी सदस्य संघों के तरल दूध व दूध उत्पादकों के लिए नीतियॉ बनाना एवं उनका कार्यान्वयन कराना।
2. दुग्ध उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना।
3. नवीन उपकरणों की व्यवस्था करना।

महासंघ के बोर्ड में मुख्य रूप से सभी जिला स्तरीय संघ के चुने हुए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शामिल होते हैं। महासंघ के सभी सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है।

राज्य दुग्ध संघ की प्रबंध व्यवस्था का प्रभाव

देश के किसी भी हिस्से में कोई संगठन स्थापित करने का उद्देश्य यह होता है कि उस इलाके में सामाजिक और आर्थिक तब्दिली लाई जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में मदद मिलती है। डेयरी उद्योग ने भी देश में एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र उद्योग का रूप ले लिया है। म.प्र. राज्य में सहकारी कार्यक्रम को समेकित ढंग से कार्यान्वित किया गया है। वहॉ इन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक दोनों तरीकों से गरीबों को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

1. सामाजिक प्रभाव : जात–पात की बुराई खत्म की और सभी दुग्ध उत्पादकों को समान अवसर प्रदान करे।
2. ग्रामीण दुग्ध समिति में समानता का व्यवहार, सिद्धांत का पालन करने की वजह से प्रजातांत्रित व्यवस्थाएँ स्थापित हुई।
3. फार्म परिवारों की नियमित आमदनी और रहन–सहन के स्तर में सुधार हुआ।

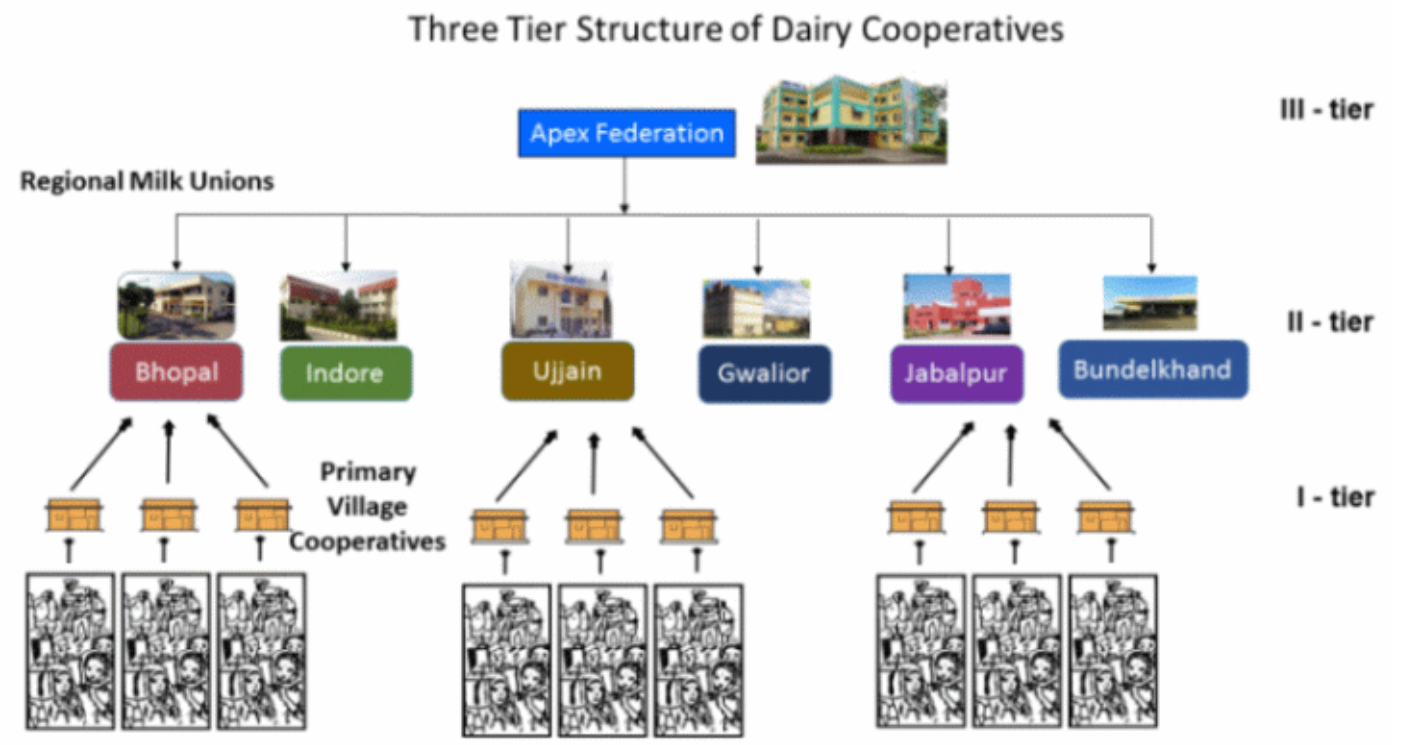

आर्थिक प्रभाव

1. ग्रामीण दुग्ध समिति के सदस्यों को नियमित आमदनी होने से किसानों का साहूकारों पर निर्भर रहना कम हुआ।
2. देहाती नवयुवकों को रोजगार के बेहतर अवसर मिले।
3. बिचौलियों की संख्या कम हुई व दूध का मूल्य भी कम हुआ।

निष्कर्ष :

अतः यह कहा जा सकता है कि राज्य स्तरीय संगठित दुग्ध क्षेत्र में प्रबंध की प्रजातांत्रित व्यवस्था है जिसमें ''एक सबके लिए, सब एक के लिए'' ऐसा सहकारिता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला यह प्रबंधन कई आदर्श उदाहरण पेश करता है, जिससे भारत देश को कृषि के पूरक व्यवसाय के रूप में दुग्ध व्यवसाय की कई ऊँचाईयों को छूने का अवसर मिला है, जिससे दुग्ध उत्पादक इसी व्यवसाय को प्रमुखता से अपनाकर शहरों में सतत् दुग्ध आपूर्ति की मिसाल कायम किए हुए हैं।

संदर्भ सूची :

1. दुग्ध अधिप्राप्ति तथा तकनीकी आदान नियमावली राष्ट्रीय डेयरी विकास बार्ड, आनंद (1982)।

2. डेयरी को ऑपरेटिव्ह एंड मिल्क मार्केटिंग इन इंडिया, बाधाएँ और अवसर (2004) के राजेन्द्र एवं समरेन्द्र मोहंती।

3. म.प्र. सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित की संगठन एवं वित्तीय व्यवस्था का विश्लेष्णात्मक अध्ययन – 2015।

(Received 12th January 2019, accepted 29th January 2019)